SBI PENSION FUNDS
Invest Wisely, Retire Happily

SAHAJ

NPS क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित एक सेवानिवृत्ति योजना सह निवेश योजना है। नियामक द्वारा जारी निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीएस अभिदाता अपने कामकाजी वर्षों के दौरान नियमित रूप से योगदान करते हैं और पेंशन फंड प्रबंधक इस पैसे को बाजार में निवेश करते हैं। यह एक दीर्घकालिक निवेश है जिसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति कोष बनाना और योजना से बाहर निकलने के बाद आजीवन पेंशन प्रदान करना है।

कौन जुड़ सकता है?

- भारतीय नागरिक, NRI और OCI
- 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच
- KYC-पूर्ति

NPS के गुण

- धारा 80C से अधिक **कर लाभ:**
  पुरानी कर व्यवस्था: स्वयं के योगदान पर ₹50,000 तक की राशि धारा 80CCD(1B) के तहत कर लाभ के लिए योग्य है, और अभिदाता के वेतन (बेसिक + DA) का 10% तक का योगदान धारा 80CCD(2)* के तहत कर लाभ के लिए योग्य है
  नई कर व्यवस्था: अभिदाता के वेतन (बेसिक + DA) का 14% तक का योगदान धारा 80CCD(2)* के तहत कर लाभ के लिए योग्य है
- **कम लागत:** इक्विटी में निवेश होने के बावजूद कम परिचालन खर्च
- **निवेश विकल्प:** अभिदाता अपने रिस्क एपेटाइट और आयु के अनुसार निवेश बदल सकते हैं
- **मार्केट रिटर्न:** बाजार से जुड़े निवेशों के साथ अधिक लाभ प्राप्त करने का अवसर
- **पोर्टेबिलिटी:** नौकरी और स्थान बदलने के बावजूद एक ही खाते के माध्यम से निवेश जारी रख सकते हैं
- PFRDA द्वारा **नियंत्रित; पारदर्शी और भरोसेमंद:** निवेश डेटा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होता है
- **वार्षिकी** आय और **एकमुश्त राशि:** यह सुनिश्चित करती है कि अभिदाता और उनके जीवनसाथी को जीवन भर नियमित पेंशन मिलती रहे, साथ ही आपातकालीन निधि उपलब्ध हो

कैसे जुड़ें?

अधिक जानकारी के लिए हमारे सहज मित्र से संपर्क करें

*T&CApply

अधिक जानकारी के लिए **sahaj.co.in** पर जाएं

SBI PENSION FUNDS
Invest Wisely, Retire Happily

SAHAJ

खातों के प्रकार	**<u>टियर I</u>:** डिफ़ॉल्ट NPS खाता, 75% तक इक्विटी में निवेश की अनुमति, 5% तक अलटरनेट एसेट में निवेश की अनुमति, प्रतिबंधित आंशिक निकासी **<u>टियर II</u>:** अतिरिक्त निवेश खाता, वैकल्पिक, 100% इक्विटी में निवेश की अनुमति, निकासी पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई अलग खाता रखरखाव शुल्क नहीं, और टियर II से टियर I में एक तरफ़ा स्विच की अनुमति है
निवेश विकल्प	**एसबीआई पेंशन फंड्स (SBI Pension Funds) पेंशन फंड मैनेजर (PFM) चुनें** **<u>एक्टिव विकल्प</u>:** अभिदाता अपनी रिस्क एपेटाइट (जोखिम लेने की क्षमता) के अनुसार इक्विटी (E), कॉर्पोरेट बॉन्ड (C), सरकारी प्रतिभूतियों (G), और वैकल्पिक निवेश फंड (A) में संपत्ति आवंटन चुन सकते हैं **<u>ऑटो विकल्प</u>:** अभिदाता के योगदान को अभिदाता की उम्र के अनुसार पूर्व निर्धारित अनुपात में E, C और G में निवेश किया जाता है, इसलिए, इन्हें लाइफसाईकल (LC) फंड के रूप जाना जाता है – LC-75, LC-50, LC-25, BLC
आंशिक निकासी	अभिदाता आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अपने स्व-योगदान राशि का 25% आंशिक रूप से निकाल सकता है। यह निकासी NPS में शामिल होने के 3 साल बाद, और पूरे कार्यकाल में अधिकतम 3 बार की जा सकती है। दो आंशिक निकासी के बीच कम से कम 3 साल का अंतर होना चाहिए, और अगली निकासी की गणना के लिए केवल पिछली आंशिक निकासी के बाद किए गए योगदान को ही ध्यान में रखा जाएगा। Tier II खाते से निकासी पर कोई सीमाएं नहीं हैं।
परिपक्वता* पर निकासी	• संचित कोष का ≤60% कर-मुक्त एकमुश्त राशि या सिस्टमेटिक लम्पसम विदड्रॉल (SLW) के साथ चरणों में लिया जा सकता है • ≥40% वार्षिकी में पुनर्निवेश जो जीवन-भर पेंशन सुनिश्चित करता है • यदि संचित कोष ≤₹5 लाख है, पूरी राशि को एकमुश्त लिया जा सकता है
परिपक्वता से पहले निकासी	• संचित कोष का ≤20% कर-मुक्त एकमुश्त राशि के रूप लिया जा सकता है • ≥80% वार्षिकी में पुनर्निवेश जो जीवन-भर पेंशन सुनिश्चित करता है • संचित कोष ≤₹2.5 लाख है, पूरी राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है
मृत्यु पर निकासी	• नामांकित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा पूरी संचित राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है

*यदि 60 वर्ष से पहले NPS में शामिल होते हैं, परिपक्वता अभिदाता की सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। यदि 60 वर्ष के बाद NPS में शामिल होते हैं, NPS खाता खोलने के 3 साल बाद निवेश परिपक्व होता है।

*T&CApply

अधिक जानकारी के लिए **sahaj.co.in** पर जाएं